

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल

क्रमांक 3003 / सज.स्था. / 2017

दिनांक 24 / 08 / 2017

विज्ञप्ति

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2/10/2012/सात/4 ए दिनांक 09 अगस्त 2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 980/2-10/2012/सात -4 ए दिनांक 18.08.2017 के तारतम्य में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर 01-01 कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 10,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से नियोजन हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने बाबत विज्ञप्ति प्रसारित है:-

रिक्त पदों का विवरण:-

संविदा पद का नाम	मानदेय	कुल स्वीकृत पद	अनारक्षित	अनु. जाति	अनु.ज. जाति
1	2	3	4	5	6
कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	10,000/- दस हजार	05	03	01	01

2.1 तालिका में दर्शित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15.09.2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क रु.100 प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है।

2.2 संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी। नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

अर्हता:-

1. आयु सीमा -

- समस्त उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 के नीचे होना चाहिये।
- शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

- 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
- डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
- दस्तावेजों की स्केनिंग।
- एम.एस.ऑफिस तथा डाटावेस साफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।
- न्यूनतम तकनीकी योग्यता सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।

(पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिये क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी, हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी)

3. संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें

- संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी।
- संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी।
- 01.01.2017 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी)
- संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

4. मानदेय/पारिश्रमिक

- संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 10,000/- मात्र देय होगी।
- संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
- यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की होती है।

5. अवकाश

- वर्ष में 13 दिवस आकरिमक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाये। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

6. ई.पी.एफ. कटौती

- ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

7. अन्य

- इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।
- संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। अस अवधि में यह संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
- संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एवं माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

4
कलेक्टर,
जिला-भोपाल.

/ / अनुबंध //

में पिता/पति.....

पद कार्यालय सहायक सह डाटाएण्ट्री ऑपरेटर, पदस्थापना स्थान दिनांक..... को कार्यालय प्रमुख के पक्ष में निम्नानुसार करारनामा करता हूँ । प्रस्तुत करारनामा दिनांक से तक के लिये लागू रहेगा ।

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी । संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी ।
2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को 07 दिवस की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
3. संविदा नियुक्त के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा । चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी ।
5. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर एक वर्ष के लिये पुनः सेवावृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा ।
6. कार्यालय सहायक सह डाटाएण्ट्री ऑपरेटर को संविदा अवधि के दौरान 10,000/- रु. प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जायेगा । महंगाई एवं अन्य गृह भाडा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा ।
7. वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा । मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर एक वर्ष के लिये पुनः सेवा वृद्धि कर नियुक्त किया जा सकेगा ।
8. एक वर्ष की पश्चात् आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि करने या नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा ।
9. ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे ।
10. (क) आकस्मिक अवकाश - संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता है ।

(ख) चिकित्सा अवकाश – संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिनों के चिकित्सकीय अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ग) सभी प्रकार के अवकाश उपभोग कार्यालय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने पर/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

11. नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
12. उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारी का जॉब चार्ट कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
13. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी पूर्वानुमति/निर्देश के कोई सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभागों को किसी भी माध्यम से नहीं होगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओं स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रुपये 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थदण्ड लगाने की स्थिति में निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
15. चयनित उम्मीदवार उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो बिना कारण बतायें नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
16. संविदा पर नियुक्त के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।
17. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटाएन्ट्री ऑपरेटर भविष्य में नियमितिकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
18. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक को एक माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
19. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख
प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर संविदा कर्मचारी
द्वितीय पक्षकार